भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फाइल सं. 7/9/2022-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 31 मार्च, 2023

अधिसूचना
अंतिम निष्कर्ष
(मामला सं.-एडी(एसी)-03/2022)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की तथाकथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच।

1. **फाइल सं. 7/9/2022-डीजीटीआर:** समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "नियमावली" भी कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एसआरएफ लिमिटेड द्वारा आवेदन पत्र के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) ने हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (जिसे 'एचटीपीवाई' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' अथवा 'संबद्ध सामान' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की और

दिनांक 24 मई, 2018 की फा.सं. 6/12/2017-डीजीएडी द्वारा चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न के निर्यातों पर निश्यात्मक शुल्कों की सिफारिश की। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने दिनांक 9 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा चीन जन.गण. के संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए।

3. जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे 'आवेदक' अथवा 'घरेलू उद्योग' भी कहा गया है) ने समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और तथा उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतू) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "पाटनरोधी नियमावली' अथवा "नियमावली" भी कहा गया) के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की सामानों के विवरण, नाम अथवा मिश्रण में बदलाव करके भारत में प्रवंचना की जा रही है।

4. आवेदक ने नियमावली के नियम 25 और 26 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1क) के अनुसार निम्नलिखित के आयातों (जिसे यहां आगे 'सामूहिक रूप से 'जांचाधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूआई' भी कहा गया है) में चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है:

क. पीयूआई I - 1000 डेनियर से कम परंतु 840 डेनियर से अधिक, दोनों एडेसिव सक्रिय तथा अन्य के हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न।

ख. पीयूआई-II- 6000 डेनियर से अधिक परंतु 7000 डेनियर से कम के हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न।

ग. पीयूआई-III - 1000 डेनियर से अधिक परंतु 1300 डेनियर से कम के एडेसिव सक्रिय हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न।

5. आवेदक ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के उत्पादक लागू पाटनरोधी शुल्कों के भुगतान से बचने के लिए नाम, विवरण अथवा मिश्रण के बदलाव के बाद विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना कर रहे हैं। अतः, यह दावा किया गया है कि यह पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना है, जिसका प्रभाव व्यापार की पद्धति में परिवर्तन और घरेलू उद्योग द्वारा महसूस किए जा रहे पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कम करने से सिद्ध है।

6. नियमावली के नियम 26(1) के तहत घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवतपूर्ण आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की तथाकथित प्रवंचना की मौजूदगी और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और नियमावली के तहत संगत प्रावधानों के अनुसार ऊपर परिभाषितानुसार जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश पर विचार करने के लिए 27 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 7/9/2022-डीजीटीआर द्वारा वर्तमान प्रवंचनारोधी जांच शुरु की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

7. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

i. प्राधिकारी ने वस्तु के विवरण नाम और मिश्रण में परिवर्तन के रूप में जांचाधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 27 जुलाई, 2022 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

ii. प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत के संबंध में चीन के दूतावास को अधिसूचित किया।

iii. प्राधिकारी ने चीन सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी

और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार दें।

iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा चीन सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति, जहां अनुरोध किया गया था वहां ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थी।

v. भारत में चीन के दूतावास से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र तथा प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को की सूची सहित दूतावास को भी भेजी गई थी।

vi चीन से पीयूसी/पीयूआई के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी के समक्ष उत्तर दिए और निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

क) चीन जन.गण. से हियोसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लिमिटेड

ख) कोरिया गणराज्य से हियोसुंग मैटिरियल कारपोरेशन

ग) चीन जन.गण. से किंगडाओ वेइफेंग फाइबर कंपनी लिमिटेड

vii. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की सूचना और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति आवेदक द्वारा पहचान किए गए अन्य हितबद्ध पक्षकारों अथवा उनके द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराई और निर्धारित समय-सीमा के भीतर में लिखित में उनके ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया।

viii. प्रश्नावलियां नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भेजी गई थी।

ix. विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों ने प्राधिकारी को उत्तर दिए और निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

क. ऑटोलिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऑटोलिव)

ख. कम्पोजिट स्ट्रैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ग. फिलाटेक इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड

घ. लिफ्ट एंड लैश प्राइवेट लिमिटेड

ड. मारुति सिंथेटिक

च. स्ट्राटा जियोसिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

छ. टेकफैब (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

ज. वर्धमान यार्नस एंड थ्रीड्स लिमिटेड

झ. विलैक्स इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड

ञ. मंगलचंद ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड

x. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर जांच में भाग ले रहे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करें।

xi. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

xii. इसके अतिरिक्त, आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग 2022 के परिसरों में स्थल सत्यापन किया गया था।

xiii. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च, 2021 और जांच की अवधि शामिल है।

xiv. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है। चूंकि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में निर्यातकों के नामों और प्रदत्त शुल्क के ब्यौरों के संबंध में सूचना नहीं है, अत: डीजी सिस्टम के आंकड़ों सहित ऐसी सूचना के संबंध में अन्य वैकल्पिक डाटा बेसों को भेजा गया था।

xv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(6) और दिनांक 10 अप्रैल, 2022 की व्यापार सूचना सं. 01/2020 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान करने हेतु 9 नवंबर, 2022 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौखिक सुनवाई आयोजित की।

xvi. जिन पक्षकारों ने उपर्युक्त मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन सभी को उनके द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध है, तो उन्हें दायर करने की सलाह दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उन लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तर अनुरोधों में दिए गए तर्कों पर इस जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।

xvii. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में, प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

xviii. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बनेंगे, 7 मार्च, 2023 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 15 मार्च, 2023 तक का समय दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।

xix. जहां कही किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथ्य रिकॉर्ड किए हैं।

xx. इस अंतिम जांच परिणाम में *** हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xxi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अ.डा. = 75.37 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई) और समान वस्तु (एलए)</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. मूल जांच उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत सभी हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न पर विचार करते हुए शुरु की गई थी और उसके बाद घरेलू उद्योग द्वारा मांग किए गए परिवर्तन के कारण एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था।

ii. चूंकि घरेलू उद्योग ने स्वयं ही उत्पाद क्षेत्र में परिवर्तन कराया था, अत: वे यह नहीं कह सकता कि अब किसी आर्थिक औचित्य के बिना व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन है और अन्य उत्पादों पर संरक्षण की मांग नहीं कर सकता।

iii. नियमावली के नियम 25(2)(ख) के तहत अपेक्षानुसार घरेलू उद्योग द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई) का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जा सकता है।

iv. यदि कुछ सामान मूल जांच में समान वस्तु के रूप में नहीं माने गए थे तो वर्तमान जांच में उन्हें समान वस्तु नहीं माना जा सकता।

v. तकनीकी विशिष्टियों के कारण विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की खरीद कीमत में अंतर है।

vi विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे ही डेनियर बढ़ता है यार्न मोटा हो जाता है। ओईएम संचालित अनुप्रयोग के लिए महीन यार्न अर्थात् पीयूआई-I उपयुक्त है और विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग केवल सिलाई के लिए किया जाता है।

vii. सहयता सीमा बहुत नाजुक है क्योंकि यह संभव है कि जब विचाराधीन उत्पाद का ऑर्डर जिस उत्पाद की सुपुर्दगी की गई थी, वह जांचाधीन उत्पाद हो।

viii. चूंकि आवेदक इस बात से भी सहमत है कि 850 डेनियर का यार्न एक मानक उत्पाद है, अत: उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए था जो कि 840 डेनियर के निकट है और जिनका प्रयोग 840 डेनियर के स्थानापन्न में किया जाता है।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

9. विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. मूल रूप से आवेदक ने समग्र रूप से एचटीपीवाई के लिए याचिका दायर की। तथापि, उत्पाद क्षेत्र जांच की शुरुआत के बाद कम किया गया था और जांच परिणाम के स्तर पर उसे और कम किया गया। जब उत्पाद क्षेत्र को यार्न को हटाने के लिए कम किया गया था तो उस स्तर पर यह माना गया था कि 840 डेनियर और उससे कम के यार्न शुल्क के भुगतान के बिना आयात किए जाएंगे न कि असामान्य डेनियर वाले यार्न।

ii. 1000 डेनियर से कम के यार्न को हटाने का अर्थ था 840 डेनियर और उससे कम के यार्न को छोड़ देना। इसी प्रकार, 6000 डेनियर से अधिक के यार्न के

लिए छूट देने का अर्थ 8000 डेनियर या उससे अधिक के यार्न को छूट देना था। निम्नलिखित तालिका सामान्य डेनियर दर्शाती है, जैसा कि एचटीवाई के उत्पादकों द्वारा उत्पादित और बेची जाती हैं।

हायोसुंग एडवांस मैटिरियल्स	हैंगली ग्रुप	गुक्सियानडाओ	हेलाइड मेरिका, इंक	आरआईएल
250	210	500	250	250
300	250		380	500
500	300		420	750
630	420		500	
750	500		630	
	840	**840**	**840**	**840**
1000	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
1300	1300	1300	1300	
1500	1500	1500	1500	
	2000	2000	2000	
		2500	2600	2600
	3000	3000	3000	3000
	4000	4000	4000	4000
	5000	5000	5000	5300
	6000	**6000**	**6000**	**6000**
	8000			

iii. अत: 1000 डेनियर से कम अथवा 6000 डेनियर से अधिक के यार्न को हटाने का अर्थ 840 डेनियर तक के यार्न और 8000 डेनियर एवं उससे अधिक के यार्न को छूट देना था।

iv. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद चीनी निर्यातकों (जिन पर पाटनरोधी शुल्क हैं और छूट नहीं ले रहे हैं) ने जांचाधीन उत्पाद का निर्यात आरंभ कर दिया। इससे विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना करने के लिए उत्पाद विवरण, नाम और मिश्रण में परिवर्तन करने के बाद विचाराधीन उत्पाद का निर्यात हुआ।

v. आयात आंकड़े 900/ 936/ 938/ 940/ 990/ 999, 6100/ 6165 1013/ 1020/ 1090/ 1100/ 1260 डेनियर और एडेसिव एक्टिवेटेड यार्न 1013/ 1020/ 1090/ 1100/ 1260 डेनियर के मामले में, जैसे असामान्य डेनियर के आयातों में वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि ये उत्पाद 840 डेनियर, 1000 डेनियर, 1300 डेनियर, 1500 डेनियर और 6000 के उच्चतर उत्पादों और अगले 8000 डेनियर के उत्पादों में सामान्यत: उत्पादित और बेचा जाता है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका में बताया गया है:

vi. विचाराधीन उत्पाद अनुमत विविधताओं और सहयता वाले मानक डेनियर में वैश्विक रूप से उत्पादित और बेचा जाता है। तथापि, चीनी उत्पादक जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, चीन सामान्य डेनियर का निर्यात कर रहे हैं। चीन के मामले में भी जिन उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, केवल वही उत्पादक इस असामान्य डेनियर का निर्यात कर रहे हैं जबकि जिन उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं है वे इन सामान्य डेनियर का निर्यात नहीं कर रहे हैं।

vii. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री वैश्विक रूप से अनुमत विविधताओं और सहयता वाले मानक डेनियर में वैश्विक रूप से की जाती है।

viii. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री वैश्विक रूप से अनुमत: विविधताओं और सहयता वाले मानक डेनियर में वैश्विक रूप से की जाती है।

ix. शुल्क के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित उत्पाद किस्मों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है:

क) पीयूआई- 1- 840 डेनियर से अधिक परंतु 1000 डेनियर से कम, दोनों एडेसिव एक्टिवेटेड और अन्य, के एचटीपीवाई

ख) पीयूआई-2- 6000 डेनियर से अधिक परंतु 7000 डेनियर से कम के एचटीपीवाई।

ग) पीयूआई-3 - 1000 डेनियर से अधिक परंतु 1300 डेनियर से कम के एडेसिट एक्टिवेटेड हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न।

x. जहां तक इस दावे का संबंध है कि आवेदक अपनी वेबसाइट पर 845 डेनियर के यार्न दर्शाता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक केवल 840 डेनियर के यार्न की बिक्री करता है और उसने हितबद्ध पक्षकारों को भी उसकी आपूर्ति की है। इस उत्पाद में सहयता सीमाएं हैं, जैसी कि सभी टेक्सटाइल यार्न में स्थिति होती है।

xi. डेसिटेक्स को डेनियर में परिवर्तित करने के लिए संख्या को 10 से विभाजित किया जाना चाहिए और 9 से गुणा किया जाना चाहिए। व्यावहारिक रूप से 840 डेनियर को 930 डेसिटेक्स, 933 डेसिटेक्स अथवा 940 डेसिटेक्स के रूप में बताया जा सकता है।

xii. हितबद्ध पक्षकार डेसिटेक्स में आयात प्रस्तुत कर भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राधिकारी को केवल डेनियर्स में आयातों पर विचार करना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए अनुमत/ सहयता सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए।

xiii. विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया समान है। कम डेनियर के उत्पादन के लिए केवल मशीन की गति को उपयुक्त रूप से विनियमित किए जाने की आवश्यकता होती है। चूंकि जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन समान कच्ची सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया का प्रयोग करके किया जाता है और विचाराधीन उत्पाद की तरह ही समान अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है और घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है। अत: घरेलू उद्योग ने जांचाधीन उत्पाद के लिए ही समान वस्तु का उत्पादन किया है।

xiv. चूंकि कम डेनियर यार्न का उत्पादन करने की लागत अधिक है, अत: कोई बचत नहीं है जिससे कि कम डेनियर के यार्न का प्रयोग करके प्रयोक्ताओं की बचत

होगी। यदि कम डेनियर सस्ते थे तो कम डेनियर के यार्नों के लिए मांग शुल्क लगाए जाने से पूर्व भी बढ़ गई होती।

xv. यद्यपि 840 डेनियर और 1000 डेनियर के यार्न के बीच कीमत का अंतर है, तथापि जांचाधीन उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत में कोई अंतर नहीं है।

xvi. प्राधिकारी को जांचाधीन उत्पाद की तुलना विचाराधीन उत्पाद के साथ ही करनी चाहिए और विचार करना चाहिए। जांचाधीन उत्पाद की तुलना उस उत्पाद से करना अनुपयुक्त है जो उपायों के अध्यधीन उत्पाद (एनपीयूसी) नहीं है। आवेदक ने एनपीयूसी पर शुल्क की मांग नहीं की है। आवेदक ने जांचाधीन उत्पाद पर शुल्क की मांग की है जिसका आयात विचाराधीन उत्पाद के स्थानापन्न के रूप में किया जा रहा है और केवल पाटनरोधी शुल्क से बचने की दृष्टि से किया जा रहा है।

xvii. यहां तक सहयता में भी सामानों के ऑर्डर दिए जाते हैं और मानक डेनियर में भी उनकी सुपुर्दगी की जाती है। सहयता सीमा का अर्थ केवल यह है कि ग्राहक ऑर्डर किए गए डेनियर और प्राप्त डेनियर के बीच अंतर के कारण उत्पाद को अस्वीकार नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, संभव है कि 1000 डेनियर का ऑर्डर दिया जाए और वह उस उत्पाद का आयात प्राप्त करे जो 999 अथवा 940 डेनियर हो। तथापि, यह 1000 डेनियर के रूप में ही आपूर्ति किया जाएगा।

xviii. यदि आयातक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और सहयता के कारण उसे कम डेनेरेज का पाया है तो उन्हें उस पर पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करना चाहिए था। इसमें मुद्दा यह है कि क्या पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बाद जांचाधीन उत्पाद का आयात किया गया था, और यदि ऐसा नहीं किया गया था, तो क्या ये एनपीयूसी के आयात थे। ये आयात न तो एनपीयूसी के आयात थे और न ही उन पर पाटनरोधी शुल्क लगा था क्योंकि आयातकों ने विवरण, सम्मिश्रण अथवा स्वरूप में परिवर्तन किया और उसे उस उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं हैं।

xix. आवेदक का इससे कोई संबंध नहीं है कि क्या प्राधिकारी सहयता के संदर्भ में उत्पाद के क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। आवेदक का इससे भी कोई संबंध नहीं है कि क्या आयातक अनुमत: सहयता वाले उत्पाद का आयात करते हैं और इस आधार पर पाटनरोधी शुल्क का भुगतान नहीं करते कि वह एनपीयूसी है।

xx. नियमों में प्रवंचनायुक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु होने के अपेक्षा नहीं है अथवा यह कि घरेलू उद्योग प्रवंचनायुक्त उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन करता है।

ग.3 <u>प्राधिकारी की जांच</u>

10. वर्तमान जांच चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की प्रवंचना से संबंधित है। मूल जांच में परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न था जो बाजार स्थल में पोलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई) अथवा इंडस्ट्रियल यार्न (आईडीवाई) के रूप में भी जाना जाता है ।

11. मूल जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

> *3.वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न" है जिसे बाजार स्थल में पोलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई) अथवा इंडस्ट्रियल यार्न (आईडीवाई) के रूप में भी जाना जाता है। हाई टेनेसिटी इंडस्ट्रियल ग्रेड यार्न के नियमित एडेसिव एक्टिवेटेड (एए), नियमित एडेसिव नॉन एक्टिवेटेड (नॉन-एए), हाई मोड्युलस लो स्प्रिंकेज एडेसिव एक्टिवेटेड (एचएमएलएसएए), हाई माड्युल्स लो स्प्रिंगेज नॉन एडेसिव एक्टिवेटेड (एचएमएलएस एनएए), लो स्प्रिंगेज (एलएस), सुपर लो स्प्रिंगेज (एसएलएस), अल्ट्रा लो स्प्रिंगेज (यूएलएस), डोप डायड यार्न जैसी अंतिम अनुप्रयोग आवश्यकता के आधार पर विभिन्न ग्रेड हैं।*

12. जांच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए 22 सितंबर, 2017 का शुद्धि-पत्र जारी किया:

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न' है जिसमें 1000 डेनियर से कम का यार्न, रंगीन यार्न और ट्विस्टेड यार्न' शामिल नहीं है" है। बाजार स्थल में पोलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई) अथवा इंडस्ट्रियल यार्न (आईडीवाई) के रूप में भी जाना जाता है। हाई टेनेसिटी इंडस्ट्रियल ग्रेड यार्न के नियमित एडेसिव एक्टिवेटेड (एए), नियमित एडेसिव नॉन एक्टिवेटेड (नॉन-एए), हाई मोड्युलस लो स्प्रिंकेज एडेसिव एक्टिवेटेड (एचएमएलएसएए), हाई माड्युल्स लो स्प्रिंगेज नॉन एडेसिव एक्टिवेटेड (एचएमएलएस एनएए), लो स्प्रिंगेज (एलएस), सुपर लो स्प्रिंगेज (एसएलएस), अल्टा लो स्प्रिंगेज (यूएलएस), डोप डायड यार्न जैसी अंतिम अनुप्रयोग आवश्यकता के आधार पर विभिन्न ग्रेड हैं।

13. विस्तृत जांचों के बाद, प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को परिभाषित करते हुए अंतिम निर्धारण जारी किए:

22.उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी ने निम्नलिखित को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद को हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न के रूप में माना है:

क. 1000 से कम डेनियर वाले यार्न;

ख. 6000 से अधिक डेनियर वाले यार्न;

ग. ट्विस्टेड यार्न;

घ. रंगीन यार्न;

ड. 1000 से अधिक डेनियर वाला एडेसिव एक्टिवेटेड यार्न; और

च. एचएमएलएस गुण-धर्मों वाला यार्न।

14. निम्नलिखित को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया गया था;

क. 1000 से कम डेनियर वाले यार्न;

ख. 6000 से अधिक डेनियर वाले यार्न;

ग. ट्विस्टेड यार्न;

घ. रंगीन यार्न;

ड. 1000 से अधिक डेनियर वाले एडेसिव एक्टिवेटेड यार्न; और

च. एचएमएलएस गुण-धर्मों वाला यार्न।

15. आवेदक ने यह तर्क दिया कि उत्पाद का नाम, विवरण और सम्मिश्रण बदलकर विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना है। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की शुरुआत के स्तर पर परिभाषित जांचाधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नलिखित है:

> *"5. जांचाधीन उत्पाद जो तथाकथित रूप से चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से आयातित विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना कर रहा है, निम्नलिखित है:*
>
> क. - 1000 डेनियर से कम परंतु 840 डेनियर से अधिक, दोनों एडेसिव सक्रिय तथा अन्य के हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (पीयूआई I) ।
>
> ख. 6000 डेनियर से अधिक परंतु 7000 डेनियम से कम के हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (पीयूआई-II) ।
>
> ग. 1000 डेनियम से अधिक परंतु 1300 डेनियम से कम के एडेसिव सक्रिय हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (पीयूआई-III) ।

16. आवेदक ने यह दर्शाने के लिए सूचना दी है कि वैश्विक रूप से इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री मानक डेनियर में किया जाता है। सामान्य रूप से उत्पादित किए जाने वाले और बेचे जाने वाले डेनियर 500, 630, 750, 840, 1000, 1300, 1500, 2000 आदि हैं। उच्चतर डेनियर में 5000, 5200, 6000, और 8000 डेनियर्स बेचे जाते हैं। यह भारत, चीन और तीसरे देशों में प्रमुख उत्पादकों के ब्रोसर और वेबसाइट से सिद्ध हैं। आवेदक द्वारा दी गई सूचना का किसी भी पक्षकार ने किसी उपयुक्त साक्ष्य के संदर्भ में विरोध नहीं किया है। यद्यपि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि गैर मानक डेनियरों का आयात उपाय लगाए जाने से पूर्व अथवा तीसरे देशों से भी किया गया था। तथापि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि इससे संबंधित किसी साक्ष्य के संदर्भ में मानक डेनियर्स ने इस उत्पाद की सामान्यतः आपूर्ति की जाती है। तथापि, शुल्क लगाए जाने के बाद 918, 936, 940, 990, 999, 1010, 1013, 1020,

1035, 1090, 1100, 6100, 6102, 6165 जैसे गैर-मानक डेनियरों के आयात संबद्ध देशों से किए जा रहे हैं।

17. विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण 5402 2090 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 54 के अन्तर्गत आते हैं। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं हैं।

18. प्राधिकारी ने आयात आंकड़ों की जांच की और वर्तमान अवधि में जांचाधीन उत्पाद के आयातों का निम्नलिखित पैटर्न पाया:

क्र.सं.	डेनियर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन कंपनियां				
1	झेजियांग गुजियान्डाओ पोलिएस्टर डोप डायड यार्न कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
2	झेजियांग यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
3	झेजियांग फ्री ट्रेड जोन सोलीड कॉम. एंड ट्रेड. कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
4	फुजियान बिलियन पोलिमेरिजेशन फाइबर टेक्नोलॉजी इन्ड.	***	***	***	***
5	हेनिंग कॉनक्यूअर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
6	यूनाइटेड रॉ मैटिरियल पीटीई लिमिटेड	***	***	***	***

7	अरेवा इंडस्ट्रीज पीटीई लिमिटेड	***	***	***	***
8	जियांग्सु हेंगली केमिकल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	हुझोऊ यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	वे कंपनियां जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं हैं				
1	हाओसुंग एडवांस्ड मैटिरियल्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

19. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने मूल जांच में 1000 से कम डेनियर वाले यार्न को अलग किया है, अत: वे 1000 डेनियर से कम के यार्न के आयातों के कारण व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन की वजह से प्रवंचना का दावा नहीं कर सकते। तथापि, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोधों और उपर्युक्त आंकड़ों को नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व 840-1000 डेनियर के बीच के यार्न, 6000-8000 डेनियर के बीच के यार्न और 1000-1300 डेनियर्स के यार्न के कोई आयात नहीं थे। यहां तक कि वर्तमान में भी जो कंपनियां पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं हैं वे अथवा तीसरे देशों के उत्पादक इन असामान्य डेनियर का निर्यात नहीं कर रहे हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ये असामान्य डेनियर चीन और अन्य देशों में प्रमुख उत्पादकों के उत्पाद प्रोफाइल का भाग नहीं बनते। प्राधिकारी, घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि 1000 डेनियर से कम के यार्न को हटाने का अर्थ 840 डेनियर और उसके कम के यार्न के आयात हैं और यह कि 6000 डेनियर से अधिक के यार्न को हटाने का अर्थ 8000 डेनियर और उसके अधिक आयात हैं। इस छूट से गैर-मानक डेनियर्स, यथा 918, 936, 940, 990, 999, 1010, 1013, 1020, 1035, 1090, 1100, 6100, 6102, 6165 वाले यार्न के आयात नहीं हुए हैं। इन्हें हटाए जाने का प्रयोग लगाए गए शुल्क के अपेक्षित प्रयोजन को विफल करने के तरीके में नहीं किया

जा सकता। हितबद्ध पक्षकार इस बात का कोई औचित्य नहीं दर्शा पाए हैं कि गैर-मानक डेनियर का आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद क्यों किया जा रहा है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व इनका आयात क्यों नहीं किया जा रहा था।

20. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद अब गैर-मानक डेनियर का आयात किया जा रहा है, और वह आरंभिक जांच की जांचावधि के दौरान मौजूद नहीं था।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 1000 डेनियर से कम के यार्न और 6000 डेनियर्स से अधिक यार्न को हटाए जाने का अर्थ 840 डेनियर तक के यार्न और 8000 डेनियर और उससे अधिक के यार्न से है। इस प्रकार, पूर्व जांच में किए गए हटाए जाने का कार्य वर्तमान में आयात किए जा रहे गैर-मानक डेनियर के संदर्भ में नहीं था बल्कि उस अवधि के दौरान वास्तव में आयात किए जा रहे मानक डेनियर के संदर्भ में था।

22. प्राधिकारी यह पाते हैं कि 918, 936, 940, 990, 999, 1010, 1013, 1020, 1035, 1090, 1100, 6100, 6102, 6165 जैसे इन गैर-मानक डेनियर के यार्न का आयात शुल्क लगाए जाने के बाद ही किया जा रहा है और वह भी उन निर्यातकों से किया जा रहा है जो शुल्कों के अध्यधीन हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या ये आयात शुल्क के उद्देश्य को विफल करने के लिए किए जा रहे हैं और इन्हें हटाए जाने का कार्य उपभोक्ता के हित में किया गया है। चूंकि लागू शुल्क की प्रवंचना के लिए उत्पाद के विवरण नाम और सम्मिश्रण में बदलाव के बाद यार्न का आयात किया जा रहा है, अतः प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्तमान जांच की जांचावधि में उसकी जांच करें।

23. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना निम्नलिखित तरीके से की जा रही है:

i. 918, 936, 940, 990, 999 डेनियर (दोनों एडेसिव एक्टिवेटेड और अन्यथा) जैसे कम डेनियर के आयातों के माध्यम से 1000 डेनियर के यार्न पर शुल्क की प्रवंचना।

ii. 6100, 6102, 6165 डेनियर जैसे थोड़े से उच्चतर डेनियरों के यार्न के आयातों के माध्यम से 6000 डेनियर के यार्न पर शुलक की प्रवंचना।

iii. 1010, 1013, 1020, 1035, 1090, 1100 डेनियर एडेसिव एक्टिवेटेड जैसे थोड़े से उच्चतर डेनियरों यार्न के आयातों के माध्यम से 1000 डेनियर एडेसिव एक्टिवेटेड पर शुल्क की प्रवंचना।

24. जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने उत्पाद, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पाद के विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित और बेची गई उत्पाद किस्मों की विभिन्न किस्मों, जिस तरीके से विभिन्न डेनियर्स का उत्पादन किया जाता है, उस तरीके, कच्ची सामग्री में समानताओं और अंतरों, संयंत्र और उपस्कर, उत्पादन सुविधाओं, विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन करने की विनिर्माण प्रक्रिया समझने के लिए आवेदक के परिसरों पर भौतिक सत्यापन किया। इस दल ने विनिर्माण सुविधाओं, विनिर्माण प्रक्रियाओं, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पादन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री को नोट किया। जांच दल ने नोट किया कि विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समान है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया कि विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए समान उपस्करों का प्रयोग किया जाता है। यह दर्शाया गया था कि फीडिंग स्टॉक की गति डेनियर्स में अंतर हासिल करने के लिए विनियमित की जाती हैं। कम गति से कम डेनियर्स होगा और उच्चतर गति से उच्चतर डेनियर्स बनेगा जिसमें फिलामिंट की संख्या समान रहती है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न संख्या में फिलामिंट बनाने के लिए विभिन्न स्पिनरेट का प्रयोग किया जाता है। 840 डेनियर, 1000 डेनियर, 1300 डेनियर, 1500 डेनियर के यार्न 192 फिलामिंट से उत्पादित किए जा सकते हैं। इसके लिए 192 फिलामिंट के स्पिनरेट की आवश्यकता होगी। समान संख्या वाले फिलामिंटों वाले 999/940 डेनियर्स के यार्न अथवा 1100/1020 डेनियर्स के यार्न का उत्पादन करने के लिए उसी स्पिनरेट का प्रयोग किया जा सकता है। डेनियर्स कम करने के लिए मशीन के माध्यम से प्रवाह की गति कम करनी होगी। तथापि,96 फिलामिंट वाले 840 डेनियर के यार्न को उत्पादित करने की आवश्यकता हो तो स्पिनरेट को बदलना होगा । 3000 डेनियर, 6000 डेनियर जैसे उच्चतर डेनियर्स वाले यार्न का उत्पादन यार्न को दुगुना करके किया जाता है। निर्यातकों सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं

दिया है कि जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए नई अथवा भिन्न मशीनों अथवा उपस्कारों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के बीच मात्र प्रवाह की गति को छोड़कर, जिसे आसानी से विनियमित किया जा सकता है, उत्पादन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है।

25. प्राधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि 940 / 990 / 999 डेनियर्स बनाम 1000; 1000 बनाम 1100 / 1020 / 1013; और 6000 बनाम 6100 / 6165 आदि का उत्पादन करने के लिए विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के बीच अंतर सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और आवेदक घरेलू उद्योग की उत्पादन सुविधाओं पर किए गए भौतिक सत्यापन को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव रखते हैं कि जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए किसी अतिरिक्त उपस्कर अथवा प्रक्रिया अथवा उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। जांचाधीन उत्पाद अथवा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन, उत्पादन को विनिर्मित करने का मामला है। हितबद्ध पक्षकारों ने जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए किसी अतिरिक्त उपस्कर अथवा प्रक्रिया अथवा उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकता अभिज्ञात नहीं की है।

26. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग आयातित सामानों की समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रवंचना का आरोप विचाराधीन उत्पाद की तुलना में तुलनीय, भौतिक एवं तकनीकी विशेषताओं, अनुप्रयोगों, लागत, कीमत, विनिर्माण प्रक्रिया और कच्ची सामग्री वाले जांचाधीन उत्पाद पर आधारित है। इस बात पर सही साक्ष्य के साथ किसी भी पक्षकार ने विवाद नहीं किया है कि जांचाधीन उत्पाद का प्रयोग भी विचाराधीन उत्पाद की तरह ही उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसमें तुलनीय विशेषताएं हैं। यद्यपि, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि जांचाधीन उत्पाद और विशेष रूप से 940 डेनियर के यार्न का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तथापि उस प्रयोग के संबंध में आगे कोई ब्यौरे अथवा साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि जांचाधीन उत्पाद के आयातों ने विचाराधीन उत्पाद के आयातों का

स्थान ले लिया है। जैसा कि मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन किया है। जांचाधीन उत्पाद का प्रयोग भी विचाराधीन उत्पाद की तरह ही समान प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसमें तुलनीय विशेषताएं हैं। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु, विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध से आयातित जांचाधीन उत्पाद तकनीकी विशिष्टियों, प्रकार्य एवं अंतिम प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने साक्ष्य देकर ऐसे किसी अनुप्रयोग की पहचान नहीं की है जो केवल जांचाधीन उत्पाद से ही पूरी की जा सके और जो विचाराधीन उत्पाद से पूरी न की जा सके। इसके मद्देनजर ये बात सामने आती है कि घरेलू उद्योग ने जांचाधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन किया है।

27. सहयता सीमा के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयता के साथ भी मानक डेनियरों में ऑर्डर किए गए सामानों की सुपुर्दगी की जाएगी और डेनियर्स से संबंधित उन सामानों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह संभव नहीं है कि यदि आयातक ने विचाराधीन उत्पाद का ऑर्डर दिया है तो वे उन्हीं सामानों को प्राप्त करेंगे जिनकी विचाराधीन उत्पाद के रूप में सुपुर्दगी की जाए अथवा उन पर उसका लेबल लगा हो। उदाहरण के लिए यदि आपूर्ति किए जाने वाला मांगा गया उत्पाद 1000 डेनियर है, और वास्तविक डेनियर (अनुमत्य सहयता के कारण) 990 है तो वह फिर भी 1000 डेनियर के यार्न की बिक्री है। इसके अतिरिक्त, यदि अनुमत्य सहयता के कारण 990 डेनियर का आयात किया जाता है तो आयातक को उस पर पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करना होता है क्योंकि 1000 डेनियर के यार्न पर शुल्क देय था। तथापि, आयातक सीमा शुल्क अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं कर सकते कि आयातित सामान शुल्क लगने वाले उत्पाद के क्षेत्र से बाहर आते हैं और ये तर्क नहीं दे सकते कि आयातित सामान अनुमत्य सहयता के अंतर्गत था। सारभौमिक रूप से सामानों की स्वीकार्यता का मूल्यांकन करने के लिए सहयता ही इस प्रयोजन को पूरा करती है। सहयता के अन्तर्गत आने वाला कोई उत्पाद ग्राहक द्वारा स्वीकार किया जाता है जबकि सहयता से बाहर आने वाला उत्पाद हो सकता है स्वीकार न किया जाए। अत:, यह नहीं माना जा सकता कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किया गया था परंतु कोई शुल्क नहीं

दिया गया था क्योंकि वह अनुमत्य सहयता के कारण थोड़ा सा कम डेनरेज का पाया गया था।

28. *प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क को नोट किया है कि जांचाधीन उत्पाद का क्षेत्र अनुमत्य सहयता के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए, यहां तक यद्यपि विचाराधीन उत्पाद अनुमत्य सहयता के बिना निर्धारित किया गया था। तद्नुसार, जांचाधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में माना जाएगा:*

क. 1000 डेनियर से कम परंतु 840 डेनियर से अधिक, दोनों एडेसिव सक्रिय तथा अन्य के हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (पीयूआई I) । तथापि 840 डेनियर और उससे कम के यार्न, जब अनुमत्य सहयता के अन्तर्गत आयात किए जाएं तो उत्पाद क्षेत्र से विशेष रूप से बाहर किया जाता है।

ख. 6000 डेनियर से अधिक परंतु 7000 डेनियम से कम के हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न(पीयूआई-II)। तथापि, अनुमत्य सहयता के अन्तर्गत आयातित किए जाने पर 7000 डेनियर का यार्न उत्पाद क्षेत्र से विशेष रूप से बाहर किया जाता है।

ग. 1000 डेनियर से अधिक परंतु 1300 डेनियर से कम के एडेसिव सक्रिय हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (पीयूआई-III)। तथापि, अनुमत्य सहयता के अन्तर्गत आयात किए जाने पर 1300 डेनियर्स का यार्न उत्पाद क्षेत्र से विशेष रूप से अलग किया जाता है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

29. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में कोई अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

घ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

30. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह आवेदन पत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और इसका समर्थन वेलनॉन पोलिस्टर्स लिमिटेड ने किया है। आवेदक के अलावा भारत में विचाराधीन उत्पाद के पांच अन्य उत्पादक हैं।

ii. आवेदक का घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और इस प्रकार घरेलू उद्योग है।

iii. एसआरएफ लिमिटेड और सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, और इस प्रकार उसे घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र माना जाना चाहिए और उनके उत्पादन को कुल भारतीय उत्पादन से अलग किया जाना चाहिए।

iv. यदि एसआरएफ और सनातन को हटा दिया जाता है तो आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा होगा।

v. एसआरएफ लिमिटेड ने वर्तमान जांच का विरोध नहीं किया है और कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

31. वर्तमान आवेदन पत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों के 5 अन्य विनिर्माता हैं। वेलनॉन पोलिएस्टर्स लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और उसके किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध नहीं है।

32. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा निम्नानुसार है:

उत्पादक	उत्पादन (मी.टन)	उत्पादन में हिस्सा (%)	
		एसआरएफ के उत्पादन	एसआरएफ के उत्पादन

		सहित	को हटाकर
आवेदक - रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	45-55%	60-70%
समर्थक - वैलनॉन पोलिएस्टर लिमिटेड	***	5-15%	10-20%
अन्य	***	35-45%	15-25%
एसआरएफ लिमिटेड	***	20-30%	0%
फेयरडील जम्बो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	***	0-10%	0-10%
सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	***	5-15%	10-20%
फेरेइटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***	0-10%	0-10%
कुल	44,850	100%	
एसआरएफ को छोड़ेकर उत्पादन	***		100%

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

34. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध दायर नहीं किया है।

ङ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

35. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तरों में व्यापार सूचना 10/2018 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है क्योंकि इन पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ii. निर्यातकों ने वितरण के चैनल को गोपनीय होने का दावा किया है।

iii. प्रयोक्ताओं/आयातकों ने आयातों की मात्रा और मूल्य की अपनी प्रवृत्ति गोपनीय होने का दावा किया है जो व्यापार सूचना के असंगत है।

iv. यहां तक कि उत्पादित उत्पाद उत्पादन सुविधाओं के नाम, स्वामित्व और मूल कंपनी जैसी सूचना गोपनीय होने का दावा किया गया है, इसके बावजूद कि वह सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है।

v. हियोसुंग केमिकल ने अपनी विनिर्माण प्रक्रिया और कच्ची सामग्री गोपनीय होने का दावा किया है और उसके लिए कोई पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं कराया है।

vi इस सूचना को गोपनीय होने का दावा करने का एकमात्र कारण यह है कि निर्यातक इस तथ्य के संबंध में टिप्पणी करने से घरेलू उद्योग को रोकना चाहते थे कि जांचाधीन उत्पाद के आयात शुल्क लगाए जाने के बाद ही शुरु हुए थे।

vii. इस दावे के उत्तर में कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा के बीच मेल नहीं था और वह आवेदक द्वारा दावा किया गया था, यह अनुरोध है कि हितबद्ध पक्षकार उसके अगोपनीय सार को साझा करें।

viii. हितबद्ध पक्षकारों ने आयातित यार्न के डेसिटेक्स को गोपनीय होने का दावा करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि हितबद्ध पक्षकार 940 डसिटेक्स अथवा 1100 डेसिटेक्स के आयातों को जांचाधीन उत्पाद के आयात के रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

36. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

37. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

" गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

38. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। व्यापार संवेदी सूचना परिपाटी के

अनुसार गोपनीय रखी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है उसे गोपनीय नहीं माना जा सकता।

39. प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इस संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे उनके प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करे।

च. पाटन पद्धति का मूल्यांकन, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.3.1 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के अध्यधीन और जांचावधि उत्पाद का निर्यात करने वाले तथाकथित किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। केवल हुओसुंग केमिकल फाइबर (जियांक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और हुओसुंग एडवांस्ड मैटिरियल्स कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य ने उत्तर दायर किए है। तथापि, इन निर्यातकों पर शून्य पाटनरोधी शुल्क है।

च.3.7.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

41. चीन के अभिगम न्याचार के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (पाटनरोधी करार) और एससीएम करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्य पर चीनी मूल के आयातों में शामिल कार्यवाहियों में लागू होगा:

(क) *जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:*

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार

अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

42. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि चीनी अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अन्तर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए नियमावली के अनुच्छेद-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की आवश्यकता होती है। यह नोट किया जाता है कि चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा नहीं किया है। तद्नुसार, नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुओसुंग केमिकल फाइबल (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड को छोड़कर चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है, जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया

जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत, उपयुक्त परिवर्तनों और समायोजनों के साथ, यदि आवश्यक हो, समान उत्पाद के लिए पूर्व में स्थापित सामान्य मूल्य के संबंध में पाटन की जांच की जानी होती है। वर्तमान मामले में, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों और लाभ को उपयुक्त रूप से जोड़कर घरेलू उद्योग के उत्पादन की अनुकूलित लागत के संदर्भ में निर्धारित भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पूर्व में स्थापित किया गया था। इस मामले में घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा जांच के बाद कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सीएनवी निर्धारित किया है और उसी को अपनी याचिका में प्रस्तुत किया है। तथापि, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि निर्णायक समीक्षा जांचों के बाद की कच्ची सामग्री लागत में वृद्धि के आरोप लगाते हुए सीएनवी में वृद्धि को ध्यान में रखे बिना निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है। इस प्रकार, माना गया सामान्य मूल्य निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है:

च.3.7.2 <u>जांचाधीन उत्पाद की निर्यात कीमत</u>

45. जांचाधीन उत्पाद की कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से लेनदेन-वार डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार सीआईएफ कीमत पर विचार किया गया है, जिसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाड़ा के लिए समायोजित किया गया है।

च.3.7.3 <u>पाटन मार्जिन</u>

46. प्राधिकारी ने निम्नलिखित तालिका में उल्लिखतानुसार पाटन मार्जिन परिकलित किया है:

विवरण	यूनिट	अ.डॉ./किग्रा.
निर्मित सामान्य मूल्य	अ.डॉ./किग्रा.	***
निवल निर्यात कीमत	अ.डॉ./किग्रा.	1.32
पाटन मार्जिन	अ.डॉ./किग्रा.	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	रेंज	10-20%

47. पाटन मार्जिन ***अ.डॉ. प्रति किग्रा. के रूप में माने जाने का प्रस्ताव है, जो काफी है और नियमावली के तहत न्यूनतम सीमा से अधिक है।

छ. प्रवंचना का निर्धारण और क्षति का मूल्यांकन अथवा कम किए जा रहे उपचारात्मक प्रभाव

क. <u>प्रवंचना का साक्ष्य</u>

छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

48. प्रवंचना सिद्ध करने वाले साक्ष्य के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्रवंचना शब्द के शब्दकोशी अर्थ का अवलोकन यह दर्शाता है कि यह ऐसा कार्य होना चाहिए जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद शुरु हुआ। तथापि, वर्तमान मामले में पीयूआई-I पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पहले भी भारत में आयात किया जा रहा था।

ii. हुओसुंग आवेदक के इस विवरण की पुष्टि करता है कि हुओसुंग ग्रुप सहित, मूल जांच में शुल्क की 'शून्य' दर दिए गए उत्पादकों ने लागू पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना नहीं की है।

iii. हाई टेनसिटी पोलिएस्टर यार्न का सम्मिश्रण बदला नहीं जा सकता क्योंकि सामानों का उत्पादन मानक डेनियर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सामानों

के विवरण में परिवर्तन का कोई उदाहरण नहीं है। उत्पाद का वास्तविक डेनियर उल्लिखित है और उसे प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है।

iv. सामानों के नाम, विवरण अथवा सम्मिश्रण अथवा व्यापार के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि पीयूआई-I का भारत में आयात शुल्क लगाए जाने से पूर्व भी किया जा रहा था।

v. ऑटोलिव ने सहायक स्रोतों से आयात आंकड़े प्राप्त किए, जो ये दर्शाते हैं कि भारत में पीयूआई-I का आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व किया जा रहा था।

vi आवेदक द्वारा उल्लिखित आयात मात्रा ऑटोलिव द्वारा प्राप्त सहायक आंकड़ों के अनुसार मात्रा से मेल नहीं खाती जिससे आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह उठते हैं।

vii. दिनांक 19 जुलाई, 2022 के पत्र द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि आयात आंकड़ों में 1100 और 1110 डेसिटेक्स वाले संबद्ध सामानों के आयात शामिल नहीं हैं, यहां तक कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार ये डेसिटेक्स जांचाधीन उत्पाद का भाग बनते हैं। हितबद्ध पक्षकारों को कोई संशोधित आंकड़े परिचालित नहीं किए गए हैं।

viii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय से स्ट्राटा जियोसिस्टम्स ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है अथवा घरेलू उद्योग से खरीद की है और पीयूआई-I की केवल एक खेप का आयात किया है।

ix. आवेदक की विनिर्देशन शीट यह दर्शाती है कि 1000 डेनियर्स के लिए +/- 24 डेनियर्स की सहयता की अनुमति है। यह खुद ही दर्शाता है कि 976 डेनियर्स या उससे अधिक के यार्न के रूप में पीयूआई-I की मांग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व भी मौजूद थी।

x. पीयूआई-I का आयात जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान और वियतनाम जैसे तीसरे देशों से भी रहे हैं।

xi. वर्धमान *** डिस्टेक्स के यार्न का आयात कर रहा था जो शुल्क लगाए जाने से पूर्व भी *** डिस्टेक्स के यार्न की तरह कुल मिलाकर समान हैं, जिनका प्रयोग सुरक्षा शीट बैल्ट वेबिंग और शीट बैल्टों की सिलाई में किया जाता है। तथापि, याचिकाकर्ता ने *** डिस्टेक्स के यार्न की प्रवंचना का आरोप नहीं लगाया है।

xii. वर्धमान भी 2013 के शुरुआत से *** डिस्टेक्स के यार्न और *** डिस्टेक्स के यार्न का आयात करता रहा है। इस डेनियर का प्रमुख रूप से सुरक्षा हारनेस की सिलाई में पाया जाता है।

xiii. डेसिटेक्स को डेनियर में बदलने के लिए संख्या में 10 का भाग दिया जाना चाहिए और 9 से गुणा किया जाना चाहिए। इस फार्मूले का प्रयोग करके वर्धमान यार्नस द्वारा आयातित डेसिटेक्स पीयूआई-I के अन्तर्गत आएगा।

xiv. ***, *** और *** डेनियर्स के यार्न संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व मौजूद रहे हैं और *** डेनियर के यार्न 1000 डेनियर ही है जो कि विचाराधीन उत्पाद है।

xv. 940 डेनियर के यार्न तकनीकी रूप से नए उत्पाद के रूप में आयात किए गए हैं न कि पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना करने के लिए। यदि इरादा विद्यमान शुल्कों की प्रवंचना करना था तो 990 अथवा 985 डेनियर के यार्न का आयात किया गया होता।

xvi. जांचाधीन उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व भी विशिष्ट उत्पाद थे। डेनियर के बढ़ने पर बेकिंग भार बढ़ता है। यदि बेकिंग भार की आवश्यकता 940 डेनियर यार्न का प्रयोग करके पूरी की जाती है तो फिर 1000 डेनियर के यार्न के बजाए उसी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ग्राहक को 6 प्रतिशत की बचत होती है।

xvii. ऑटोमोबाइल उद्योग में, प्रयुक्त की जाने वाली चूड़ी का चयन ग्राहक की ड्राविंग के आधार पर होता है। संलग्न ग्राहक का नमूना ड्राविंग यह दर्शाता है कि 837 और 846 डेनियर का प्रयोग शीट वेबिंग के उत्पादन के लिए किया गया है।

xviii. यह दावा कि पीयूआई-I के लिए कोई मांग नहीं है, गलत है क्योंकि आवेदक 845 डेनियर का खुद ही उत्पादन कर रहा है, जैसाकि उसकी वेबसाइट से सिद्ध है।

xix. आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 25 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है और जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए उसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। कम किए गए शुल्कों के प्रतिकूल उपचारात्मक प्रभावों के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

xx. पाटन मार्जिन का परिकलन और विश्लेषण पीसीएन-वार किया जाना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

49. प्रवंचना के साक्ष्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. निर्यातक नियमावली के नियम 25(2)(ख) के अनुसार उत्पाद के विवरण, नाम अथवा सम्मिश्रण में बदलाव कर विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना कर रहे हैं।

ii. संबद्ध सामानों का विनिर्माण मानक डेनियरों में किया जाता है जिसका पालन विश्व भर में किया जाता है। डेनियर्स का भी एक निर्धारित अनुप्रयोग है और परस्पर परिवर्तनीय रूप से उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।

iii. चीन जन.गण. सहित विश्व भर में कुछ बड़े विनिर्माताओं के ब्रोसर यह दर्शाते हैं कि संबद्ध सामान केवल मानक डेनियर में उत्पादित किए जाते हैं।

iv. चूंकि शुल्क 1000 डेनियर से अधिक और 6000 डेनियर से कम के उत्पादों पर लगाए गए थे, अत: निर्यातकों ने 900/936/938/990 जैसे 1000 डेनियर से थोड़ा सा कम और 6100 अथवा 6165 जैसे 6000 डेनियर से अधिक के सामानों का निर्यात करना शुरु कर दिया है।

v. चूंकि 1000 डेनियर के केवल एडेसिव एक्टिवेटेड हाई टेनिसिटी पोलिएस्टर यार्न उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अत: निर्यातकों ने 1013/ 1020/ 1090/ 1100/ 1260 डेनियर के यार्नों का निर्यात करना आरंभ कर दिया।

vi पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद व्यापार के पैटर्न में अचानक परिवर्तन है जिसके लिए आर्थिक औचित्य का अभाव है।

vii. इन असामान्य डेनियरों के लिए कोई नई मांग पिछले कुछ वर्षों में नहीं आई है।

viii. आवेदक खुद ही जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहा है।

ix. तीसरे देशों से जांचाधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस दावे की कि जांचाधीन उत्पाद का भी तीसरे देशों से आयात किया गया है, उन्हें जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वह आंकड़ो के त्रुटिपूर्ण पृथ्थकरण अथवा डेसिटेक्स को डेनियर्स में त्रुटिपूर्ण परिवर्तन पर आधारित हो सकता है।

x. विचाराधीन उत्पाद का उन उत्पादकों द्वारा निर्यात नहीं किया गया है जिन्हें शुरु से छूट थी, यथा - हियोसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड।

xi. यहां तक कि यदि जांचाधीन उत्पाद के छोटी मात्रा में आयात शुल्क लगाए जाने से पूर्व किए गए थे तो नियमावली में एक ऐसी स्थिति शामिल है जिसमें परिपाटी प्रवंचना के क्षेत्र कि अंतर्गत शुल्क लगाए जाने के बाद गहन हुई है अथवा बढ़ी है।

xii. यद्यपि कुछ पक्षकारों ने ये दावा किया है कि उन्होंने शुल्क लगाए जाने से पूर्व जांचाधीन उत्पाद का आयात किया है, तथापि आवेदक ने ऐसे आयातों का एक भी लेन-देन नहीं पाया है।

xiii. शुल्क लगाए जाने के बाद विचाराधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट आई और असामान्य डेनियर के आयात बढ़ने शुरु हो गए।

xiv. शुल्क का भुगतान करने के बाद जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के केवल 1,496 मी. टन (11 प्रतिशत) का आयात किया गया था।

xv. हितबद्ध पक्षकार 930/933 डेसिटेक्स के यार्न के लेन-देनों का उल्लेख करके प्राधिकारी को भ्रमित कर रहे हैं, जो कि पीयूआई-I के आयातों और पीयूआई-I

के रूप में 1100 डेसिटेक्स के यार्न के लेन-देनों के रूप में वास्तव में 840 डेनियर है जो कि वास्तव में 1000 डेनियर है।

xvi. यदि कम डेनियर्स का प्रयोग करना प्रस्तावक लाभ था तो हितबद्ध पक्षकारों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें शुल्क लगाए जाने के बाद ही उन लाभों की जानकारी क्यों हुई।

xvii. जहां तक इस दावे का संबंध है कि इस उत्पाद का प्रयोग ओईएम द्वारा किया जाता है, यह अनुरोध है कि ओईएम कई वर्षों से भारत में रहा है परंतु ये डेनियर शुल्क लगाए जाने से पूर्व आयात नहीं किए जा रहे थे।

xviii. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का कि ऐसा कोई नए निचले स्तर का उत्पाद नहीं दर्शाया है जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद शुरु किया गया हो जिसके लिए 940 डेनियर की आवश्यकता हो। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि 940 डेनियर प्रवंचनायुक्त उत्पाद नहीं है, परंतु 985 और 990 डेनियर के यार्न प्रवंचनायुक्त उत्पाद हैं, कोई आधार नहीं है।

xix. यद्यपि कुछ आयातकों ने शुल्क लगाए जाने से पूर्व पीयूआई-I के आयातों का त्रुटिपूर्ण दावा किया है तथापि किसी भी पक्षकार ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पूर्व पीयूआई-II और पीयूआई-III के कोई आयात किए जाने का दावा नहीं किया है।

xx. चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने यह नहीं दर्शाया है कि उनकी लागतें और घरेलू कीमतें उपयुक्त हैं और संबद्ध सामानों की लागत और कीमत उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं।

xxi. सामान्य मूल्य का परिकलन दो अवधियों के दौरान कच्ची सामग्री की लागत में अंतरों के लिए समायोजनों के साथ मूल जांच के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य के आधार पर किया गया है। यह प्राधिकारी की विगत परिपाटी और यूरोपीय संघ जैसे अन्य न्यायाधिकरणों की परिपाटी के अनुरूप है।

xxii. पीसीएन-वार पाटन मार्जिन काफी है।

xxiii. पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना मात्रा और कीमत के संदर्भ में उपचारात्मक प्रभावों को कम कर रही है।

xxiv. विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने बाजार ले लिया है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार हिस्से की हानि हो रही है।

xxv. पीसीएन-वार कीमत कटौती और औसत कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।

xxvi. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना के कारण भारत सरकार को 1,691 लाख रु. के राजस्व की भारी हानि हुई है।

xxvii. जांच की शुरुआत की तारीख से जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर पूर्व की तारीख से पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जाए।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

50. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना के संबंध में अधिनियम की धारा 9क(1क) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"(1क), जिसमें केंद्र सरकार, ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, का यह मत है कि उप धारा (1) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना हुई है, या तो विवरण अथवा नाम अथवा उस वस्तु के संगठन में परिवर्तन करके, जो ऐसे पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है अथवा ऐसी वस्तु का आयात अनअसेंबल्ड अथवा डिसअसेंबल्ड रूप अथवा उसके मूल देश को बदलकर अथवा निर्यात अथवा किसी अन्य तरीके से किया गया है जिसमें लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी रखा गया है, वह ऐसी वस्तु अथवा उस देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है, जैसी भी स्थिति हो। "

51. नियमावली का नियम 25 निम्नलिखित रूप में प्रवंचना को परिभाषित करता है:

(1) प्रवंचना पर किसी परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य, जिसके लिए शुल्क लगाए जाने को छोड़कर अपर्याप्त कारण अथवा आर्थिक औचित्य है, के

परिणामस्वरूप भारत और उपायों के अध्यधीन किसी देश में अलग-अलग कंपनियों के बीच अथवा किसी देश और भारत के बीच व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के रूप में विचार किया जाएगा; और जहां क्षति का साक्ष्य है अथवा शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव कीमतों अथवा गुणवत्ताओं अथवा समान उत्पाद के दोनों के संदर्भ में कम किए जा रहे हैं, और जहां समान उत्पाद के लिए पूर्व में सिद्ध सामान्य मूल्यों के संबंध में पाटन का साक्ष्य है, यदि उपयुक्त परिवर्तनों अथवा समायोजनों अथवा नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक हो।"

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन किसी वस्तु का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित निर्यातक देश अथवा मूल देश सहित किसी भी देश से भारत में अनअसेंबल्ड, अनफिनिश्ड अथवा इनकम्पलीट रूप में किया जाता है तथा उसे भारत में अथवा ऐसे देश में असेंबल, फिनिश्ड अथवा कम्प्लीट" किया जाता है तो ऐसी असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन को लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना माना जाएगा, यदि:

(i) प्रचालन पाटनरोधी जांच के बाद अथवा ठीक उससे पूर्व प्रारंभ किया गया हो अथवा बढ़ाया गया हो तथा हिस्से पुर्जों एवं संघटकों का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित मूल देश अथवा निर्यातक देश से आयात किया गया हो; और

(ii) असेंबली या पूर्ण संचालन के परिणामस्वरूप लाए गए इनपुट में जोड़ा गया मूल्य निर्माण लागत के 35 प्रतिशत से कम हो:

बशर्ते कि प्रौद्योगिकी की खरीद, यथा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्शी प्रभार आदि के निमित्त मूल्यवर्धन व्यय के परिकलन में उल्लिखित हिस्से-पुर्जों के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

व्याख्या-I - मूल्य का अर्थ असेंबल्ड, फिनिश्ड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत में से आयातित हिस्सों पुर्जों अथवा संघटकों का मूल्य घटाकर

व्याख्या-II - "मूल्य" का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा परामर्शी प्रभारों

से संबंधित भुगतानों के निमित्त किए गए खर्चों को हिसाब में नहीं दिया जाएगा।

(ख) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन कोई वस्तु मूल देश से अथवा वस्तु के विवरण, नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन में शामिल किसी प्रक्रिया के अध्यधीन रखे जाने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यात के देश से भारत में आयात किए जाते हैं, वहां ऐसे परिवर्तन लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन उस वस्तु के विवरण अथवा नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन के फलस्वरूप प्रशुल्क वर्गीकरण, यदि कोई है, के अंतर को ध्यान में रखते हुए छोटे रूपों में भी दिखाई देने वाले अथवा उस स्वरूप में वस्तु में परिवर्तन हो रहा है।

(ग) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन कोई वस्तु उस निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा देश के माध्यम से भारत में आयातित की जाती है जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं है तो ऐसे निर्यात लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यातक अथवा उत्पादक उस वस्तु की अपनी व्यापार परिपाटी, व्यापार पैटर्न अथवा बिक्री के चैनल में निर्यातकों अथवा उत्पादकों अथवा उस देश के माध्यम से भारत में निर्यातित अपने उत्पादों को देने के लिए परिवर्तन करते हैं जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं हैं।

(घ) अन्य कोई तरीका जिससे इस प्रकार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी किया गया है।"

52. वर्तमान मामले में आवेदक ने नियमावली के नियम 25(2)(ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की किसी वस्तु के विवरण, नाम और सम्मिश्रण में बदलाव के माध्यम से प्रवंचना का आरोप लगाया है। इसकी जांच करने के लिए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की निर्यात/आयात की मात्रा, प्रयोगों, लागतों, कीमतों, उत्पादन प्रक्रिया, कच्ची सामग्री के संबंध में सूचना मांगी। निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और घरेलू उत्पादकों से संगत सूचना प्राप्त कर लेने के बाद प्राधिकारी ने

किसी वस्तु के विवरण, नाम अथवा सम्मिश्रण में बदलाव के माध्यम से मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की तथाकथित प्रवंचना की जांच की है।

53. तथाकथित प्रवंचना की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से लेन-देनवार आंकड़े प्राप्त किए हैं। इन आंकड़ों को आयातित सामानों के विवरण के आधार पर विचाराधीन उत्पाद, जांचाधीन उत्पाद और एनपीयूसी के आयातों में पृथक किया गया है। जिन लेन-देनों के लिए उत्पाद को डेसिटेक्स शब्दों में वर्णित किया गया था, उनके लिए निम्नलिखित फार्मूला लागू कर डेनियरेज निर्धारित किया गया है:

डेनियर = डेसिटेक्स x 0.9

छ.3.2 व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन

54. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद में व्यापार पैटर्न में बदलाव के संबंध में निर्धारित मानदंड की जांच की है कि क्या व्यापार पैटर्न में परिवर्तन आर्थिक औचित्य से आया है अथवा नियम 25(1) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण है।

55. व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन का विश्लेषण विचाराधीन उत्पाद से पीयूआई-I, पीयूआई-II और पीयूआई-III के आयातों की मात्रा पर विचार करते हुए 2016-17 से जांच की अवधि तक किया गया है।

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पीयूसी	मी.टन	4,048	8,503	11,495	11,659
पीयूआई	मी.टन	218	1,599	3,222	6,768
पीयूआई - 1	मी.टन	136	558	1,059	2,906
पीयूआई - 2	मी.टन	0	231	1,071	1,432
पीयूआई - 3	मी.टन	82	810	1,093	2,431
कुल	मी.टन	4,266	10,102	14,717	18,428

56. यह नोट किया जाता है कि शुल्क लगाए जाने से पूर्व जांचाधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं थे। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद जांचाधीन उत्पाद के आयात शुरु हुए। इसके अतिरिक्त, उसके बाद वे काफी बढ़े हैं। जांच की वर्तमान अवधि में जांचाधीन उत्पाद के काफी आयात थे।

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी जांचाधीन उत्पाद के काफी आयात थे। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के अधिकतर आयात उन श्रेणियों से संबंधित थे जिन पर पाटनरोधी शुल्क देय नहीं थे। अत:, प्राधिकारी ने विस्तार से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा की जांच की है। विश्लेषण के दौरान यह नोट किया गया था कि यद्यपि 2021-22 की अवधि के दौरान, विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में वृद्धि थी, तथापि यह अग्रिम प्राधिकार के तहत किए गए आयातों के कारण और पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने से निर्यातकों की छूट से था। संक्षेप में, प्रदत्त शुल्क के आयातों का संबद्ध देश से कुल आयातों का केवल 4 प्रतिशत था, जबकि जांचाधीन उत्पाद के आयात इस मात्रा के 37 प्रतिशत थे, शेष शुल्क मुक्त आयात अथवा शून्य शुल्क के अध्यधीन निर्यातकों से आयात थे।

58. प्राधिकारी ने विस्तार से जांचाधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा की भी जांच की। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने जांचाधीन उत्पाद के निर्यात-वार आयातों की भी जांच की। यह देखा जाता है कि जांचाधीन उत्पाद के निर्यात ऐसे निर्यातकों द्वारा हैं जो पाटनरोधी शुल्कों के अध्यधीन थे। उन निर्यातकों द्वारा जांचाधीन उत्पादन के कोई आयात नहीं थे, जो शून्य शुल्कों के अध्यधीन थे।

जांच की अवधि में आयात	पीयूसी-मी.टन	पीयूआई- मी.टन
शून्य शुल्क वाले निर्यातक	***	-
पाटनरोधी शुल्क वाले निर्यातक	9,562	6,768

59. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि ***डेसिटेक्स और ***डेसिटेक्स यार्न का आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पूर्व भी किए जा रहे थे। यह नोट किया जाता है यद्यपि 1000 डेनियर्स के यार्न गणितीय रूप से ***डेसिटेक्स हैं, तथापि, उसे बाजार

स्थल(अनुमत्य सहयता पर विचार करते हुए) में ***डेसिटेक्स के यार्न के रूप में भी बताया जा सकता है। यह प्रमुख वैश्विक उत्पादकों के ब्रोसर (घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्य) से भी पाया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ***डेसिटेक्स के यार्न और ***डेसिटेक्स के यार्न दोनों को सामान्य रूप से आयातित सामानों के विवरण के रूप में '1000 डेनियर्स' के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद ***/*** डेसिटेक्स के यार्नों का कुछ लेन-देन *** अथवा ***डेनियर्स के यार्नों के लेन-देन के रूप में सूचित किया गया है।

60. हितबद्ध पक्षकारों ने ***डेसिटेक्स के यार्नों के आयातों पर विश्वास किया है, जो कि यह दावा करने के लिए ***डेसिटेक्स के यार्नों के रूप में उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि पीयूआई-I का आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व किया गया था। उत्पाद, डेनियर्स से डेसिटेक्स में परिवर्तन और उत्पादन प्रक्रिया पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि ***डेसिटेक्स और 840 डेनियर्स के यार्न उसी उत्पाद को उल्लिखित करते हैं और चूंकि 840 डेनियर्स के यार्न को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशेष रूप से अलग किया गया है, अत: ***डेसिटेक्स के यार्न भी विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

61. यह नोट किया जाता है कि 940 डेनियर्स के यार्न के आयातों के काफी लेन-देन हैं। 940 डेनियर्स के यार्नों के आयात जांचाधीन उत्पाद के आयातों के रूप में माने गए हैं और लागू शुल्कों की प्रवंचना करते हुए पाए गए हैं।

62. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का विचार बनाते हैं कि चीन से विचाराधीन उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन आया है।

छ.3.3. आर्थिक अथवा अन्य औचित्य

63. आर्थिक औचित्य की मौजूदगी अथवा अन्यथा के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. कम डेनिरेज का प्रयोग ग्राहकों को लागत बचतें होने देता है।

ख. कम डेनिरेज का प्रयोग ओईएम अनुप्रयोगों अथवा शीट बेल्ड वेबिंग में किया जाता है।

ग. 940 डेनियर्स के यार्न को नए उत्पाद के रूप में शुरु किया गया है।

64. घरेलू उद्योग ने इस तथ्य पर विश्वास करके उपर्युक्त दावों पर विवाद किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व ऐसे कोई आयात नहीं थे। इस संबंध में प्राधिकारी यह पाते हैं कि यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि एक नया उत्पाद है अथवा नया अनुप्रयोग है, तथापि, इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व जांचाधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं दर्शाए हैं। दावा किए गए आयात ***डेसिटेक्स के यार्न के थे जो उत्पाद जैसा कि ऊपर बताया गया है, उत्पाद (840 डेनियर यार्न होने के नाते); अथवा ***डेसिटेक्स और ***डेसिटेक्स के यार्न की प्रवंचना नहीं कर रहे हैं जो कि केवल 1000 डेनियर्स के यार्न हैं।

65. आयात आंकड़े उन निर्यातकों से गैर-मानक डेनियर्स के कोई आयात नहीं दर्शाते, जो शून्य शुल्कों के अध्यधीन हैं। यह आयात केवल उन निर्यातकों द्वारा किए गए पाए गए हैं जो विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों के अध्यधीन हैं। *** मी.टन के वियतनाम से एक लेन-देन, जिसका हेलाइड द्वारा निर्यात किया गया था, लेन-देन को छोड़कर तीसरे देशों से भी जांचाधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दायर आंकड़े भी जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले डेनियर्स की कोई बिक्री नहीं दर्शाते। इस प्रकार, प्राधिकारी इस तर्क में कोई औचित्य नहीं पाते कि जांचाधीन उत्पाद का आयात एक नए उत्पाद के रूप में अथवा नए अनुप्रयोग के लिए अथवा लागत बचत के कारण किया जा रहा था।

66. जैसा कि ऊपर संगत खंड में उल्लिखित किया गया है, प्राधिकारी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया था कि डेनिरेज में अंतर हासिल करने के लिए फीडिंग स्टॉक की गति में बदलाव किया जाना है।

67. इसके अतिरिक्त, ये आयात भारत में केवल संबद्ध देश से ही आए हैं। जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान और वियतनाम से जांचाधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे तथ्यों से सिद्ध नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों की जांच की है और ऊपर पहचान किए गए अनुसार वियतनाम से एक लेन-देन को छोड़कर गैर संबद्ध देशों से जांचाधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं पाए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित आयात गैर विचाराधीन उत्पाद अथवा विचाराधीन उत्पाद के हैं न कि जांचाधीन उत्पाद के।

68. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा जाता है कि व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का परिणाम था।

69. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अधिकृत आयातकों और लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना करने वाले आयातकों के बीच वर्गीकरण का अनुरोध किया है और केवल लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना करने वाले आयातकों पर लागू पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। तथापि, कोई भी हितबद्ध पक्षकार आयातों की अधिकृत प्रकृति के संबंध में कोई उपयुक्त साक्ष्य दर्शाने में सक्षम नहीं रहा है। जिन्होंने जांचाधीन उत्पाद का निर्यात करने संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। अतः, यह दर्शाने के लिए प्राधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पूर्व जांचाधीन उत्पाद का आयात किया जा रहा था। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है जहां तक *** डेसिटेक्स के यार्न (840 डेनियर्स के यार्न) का संबंध है, इसे प्रवंचनाकारी उत्पाद के रूप में नहीं माना गया है। इस प्रकार, शुल्क की प्रवंचना करने वाले आयातकों और अधिकृत आयातकों के बीच कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है।

मौजूदा पाटनरोधी उपायों को कम करने का मूल्यांकन और घरेलू उद्योग का उपचारात्मक प्रभाव

छ.3.4 कम किए जा रहे उपचारात्मक प्रभाव

70. प्रवंचनारोधी जांच में एक अनिवार्य पहलू यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभावों को कम किया जा रहा है। अतः, प्राधिकारी ने

इस मामले की जांच की कि जिसमें लगाए गए शुल्क को प्रवंचनायुक्त उत्पाद किस मात्रा तक कम कर रहे हैं और इससे किस सीमा तक यह शुल्क अप्रभावी हो रहा है। प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभाव बाजार हिस्से, कीमत कटौती और जांचाधीन उत्पादों के कारण शुल्क की हानि के संदर्भ में कम किए गए हैं।

छ.3.5. शुल्कों की प्रवंचना का मात्रात्मक प्रभाव

71. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों के बाजार हिस्से की जांच की है और वह निम्नलिखित रूप में दिया गया है:

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आयात - चीन	13.86%	27.13%	33.39%	35.28%
पीयूसी	13.15%	22.84%	26.08%	22.32%
पीयूआई	0.71%	4.29%	7.31%	12.96%
क.पीयूआई - 1	0.44%	1.50%	2.40%	5.56%
ख.पीयूआई - 2	0.00%	0.62%	2.43%	2.74%
ग.पीयूआई - 3	0.27%	2.18%	2.48%	4.65%
अन्य आयात- पीयूसी	14.15%	7.97%	9.83%	9.22%
आवेदक*	100	82	80	70
अन्य भारतीय उत्पादक*	100	100	77	86

**सूचकांक*

72. जांचाधीन उत्पाद के आयात बाजार हिस्से में वृद्धि के साथ क्षति की अवधि में निरंतर बढ़े हैं। भारतीय बाजार में जांचाधीन उत्पाद के बढ़े हुए हिस्से में घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से से ले लिया है। यद्यपि भारतीय उद्योग का 2018-19 में बाजार का लगभग तीन चौथाई हिस्सा है। तथापि, यह हिस्सा जांच की अवधि के दौरान घटकर 56 प्रतिशत हो गया। अत:, जांचाधीन उत्पाद के आयातों से घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा घटा है।

73. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात का काफी अनुपात या तो पाटनरोधी शुल्कों के भुगतान से छूटशुदा निर्यातकों से अथवा अग्रिम प्राधिकार के तहत है।

74. इसके अतिरिक्त यह देखा जाता है कि संबद्ध आयातों का हिस्सा तेजी से बढ़कर 0.71% (2018-19) से 12.96% (2021-22) हो गया है।

छ.3.6 शुल्कों की प्रवंचना का कीमत प्रभाव

75. कीमतों पर जांचाधीन उत्पाद के आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी ने जांच की कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में प्रवंचनायुक्त आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की जा रही है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित तालिका में इस पर विचार किया है:

विवरण	यूनिट	पीयूआई	पीयूसी
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	116	118
निवल बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***
कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***
कीमत कटौती	%	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10	0-10

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचाधीन उत्पाद घरेलू उद्योग की विद्यमान कीमतों से कम कीमत पर भारतीय बाजार में आए हैं, इस प्रकार, बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। जांच की अवधि के लिए कीमत कटौती सकारात्मक ही नहीं है बल्कि काफी भी है। इसके अतिरिक्त, जांचाधीन उत्पाद के आयातों की पहुंच कीमत वास्तविक रूप से विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत से कम है।

छ.3.7 विचाराधीन उत्पाद पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का कटाव

77. प्राधिकारी ने उन पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा निर्धारित की है जो चीन से जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर देय होते। निम्नलिखित तालिका जांचाधीन उत्पाद पर विद्यमान पाटनरोधी उपायों के कटाव की राशि दर्शाती है:

अवधि	मात्रा (मी.टन)	पाटनरोधी शुल्क (अम.डॉ.)	विनिमय दर	पाटनरोधी शुल्क (रु./मी.टन)	शुल्क का कटाव (लाख रु.)

18-19	218	174	70.82	12,322	27
19-20	1,599	220	71.65	15,798	253
20-21	3,222	261	75.22	19,600	632
21-22	6,768	367	75.37	27,659	1,872
कुल	11,808				2,783

78. यदि जांचाधीन उत्पाद के आयातों में विचाराधीन उत्पाद के आयातों का स्थान लेना शुरु नहीं किया होता तो 2,783 लाख रु. की राशि देय होती।

ज. <u>विविध मुद्दे</u>

ज.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

79. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि कुछ ही घरेलू उत्पारक हैं। इससे भारतीय बाजार में उत्पादक संघ का निर्माण होगा। भारतीय उत्पादक पहले ही उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर बाजार में प्रभाव बनाए हुए हैं।

ii. घरेलू उद्योग ने प्रवंचनायुक्त उत्पाद पर शुल्क बढ़ाए जाने की मांग करने के लिए जनहित के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

iii. तथाकथित प्रवंचनायुक्त उत्पाद पर शुल्क बढ़ाने से संबद्ध उत्पाद की आपूर्ति के स्रोत रुक जाएंगे।

iv. अंतिम प्रयोक्ताओं को एमएसएमई की श्रेणी में रखा गया है और पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जाना एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकारी नीति के विरुद्ध होगा।

v. शुल्क बढ़ाने से आजीविका की हानि होगी, एमएसएमई के निर्यात कम होंगे, घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण होगा, रोजगार में कमी आएगी और देश में मांग-आपूर्ति अंतराल बनेगा, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि प्रयोक्ताओं को पहले ही कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण हानि हो रही है।

vi कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए, विद्यमान पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने से भारतीय बाजार में जांचाधीन उत्पाद की लागत गैर-किफायती होगी।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

80. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह तथ्य कि चीन के उत्पादकों ने प्रवंचना का सहारा लिया है, स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वे उचित कीमतों पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में चीन के उत्पादक भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को विकृत कर देंगे।

ii. विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना से सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई है।

iii. देश में बहुसंख्यक घरेलू उत्पादक हैं जिसके कारण अच्छी बाजार स्थिति है।

iv. किसी भी प्रयोक्ता ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उनके निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया है, और इस प्रकार, प्रवंचनायुक्त उत्पाद पर शुल्क बढ़ाए जाने को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं माना जा सकता।

v. पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने से विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि अन्य स्रोतों से भी उसका आयात किया जा सकता है।

vi प्रवंचना की दुर्भावनापूर्ण परिपाटी जनहित में नहीं है।

vii. एमएसएमई क्षेत्र के प्रभावित होने का कोई साक्ष्य नहीं है, यहां तक यद्यपि पाटनरोधी शुल्क विगत 4 वर्षों से लागू रहे हैं।

viii. आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण उपलब्ध कराया है जो यह दर्शाता है कि कीमतों पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य है।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य किसी भी तरह संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है। भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी उपाय बढ़ाए जाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय बढ़ाए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि लागू शुल्कों की प्रवंचना के कारण कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किए जाते हैं।

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रवंचनारोधी जांच का प्रयोजन यह जांच करना है कि क्या विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना हो रही है और ऐसी प्रवंचना को हल करने के उपायों की सिफारिश करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि शुल्क के अपेक्षित प्रभाव को वसूल किया जाता है। यद्यपि, प्रवंचना एक ऐसी परिपाटी है जो शुल्क लगाए जाने के अपेक्षित प्रयोजन को विफल करती है, प्रवंचनायुक्त उत्पाद पर शुल्क बढ़ाने से यह सुनिश्चित होगा कि उद्देश्य हासिल किया जाता है। इस प्रकार, विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना करते हुए पाए गए सामानों पर कोई भी पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाना जनहित के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत, प्रवंचनायुक्त उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क न लगाना केवल घरेलू उद्योग के लिए ही अनुचित और अनुपयुक्त नहीं है बल्कि विचाराधीन उत्पाद के विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों तथा भारत में उसके उन आयातकों, जिन्होंने लागू पाटनरोधी शुल्क का विधिवत् भुगतान किया है और प्रवंचना में शामिल नहीं हैं, के लिए भी अनुचित और अनुपयुक्त है।

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने पाटनरोधी शुल्कों के व्यापक प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कई तर्क उठाए हैं तथापि इसका कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि पहले से ही लागू इन शुल्कों से प्रयोक्ताओं के निष्पादन में कोई गिरावट आई है, इसी प्रकार, यद्यपि यह दावा किया गया है कि प्रवंचनायुक्त उत्पाद पर शुल्क बढ़ाने से एमएसएमई उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तथापि यह बताने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि मूल जांच के अनुसरण में लगाए गए शुल्कों का उस उद्योग पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए प्रयोक्ताओं के

वित्तीय विवरणों पर दावा किया है कि प्रयोक्ताओं की लाभप्रदता लागू शुल्कों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है।

84. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते। किसी भी दशा में, संबद्ध सामानों के कई उत्पादक हैं जो प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियों को सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई व्यक्तिगत उत्पादक अनुचित लाभ लेने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों का उत्पादन कई अन्य देशों में किया जाता है और कई अन्य देशों से उसका आयात किया जा सकता है और वे देश हैं; इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम।

झ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

झ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

85. प्रकटन जारी होने के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के उपयोग, खरीद कीमत में अंतर, समान वस्तु, मूल जांच में उत्पाद के दायरे में परिवर्तन, शुल्क लागू होने से पहले पीयूआई I के यार्न के आयात आदि से संबंधित अनुरोधों को दोहराया है। प्रकटन संबंधी टिप्पणियों के जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. असामान्य डेनियर जैसा कोई शब्द नहीं है। अंतिम प्रयोग के लिए उपयुक्त कोई भी डेनियर प्रयोक्ता के लिए उपयुक्त डेनियर है।

ii. क्रय निर्णय सामग्री की उपलब्धता और उत्पाद के मूल्य निर्धारण पर आधारित होते हैं।

iii. यदि आयातक या अंतिम प्रयोक्ता नियमों में बदलाव करना चाहता है तो उसने 940 डेनियर के बजाए 990 / 985 / 998 डेनियर का आयात किया होता। इसकी सहनशीलता ±1.5-2% है जबकि 940 डेनियर, 1000 डेनियर से 6% कम है।

iv. जांचाधीन उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद की खरीद कीमत में अंतर तकनीकी विनिर्देशन में अंतर के कारण है।

v. विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि डेनियर बढ़ने पर यार्न मोटा हो जाता है। ओईएम चालित अनुप्रयोग के लिए परिष्कृत यार्न अर्थात पीयूआई । उचित है और विचाराधीन उत्पाद सोल स्टिचिंग के लिए उपयुक्त है।

vi पीयूआई । और पीयूआई II का आयात महामारी के दौरान श्रम और अन्य मुद्दों के कारण बीम स्टैंड बुनाई प्रक्रिया से क्रील स्टैंड बुनाई प्रक्रिया की विनिर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार, आयात का कारण पूर्णत: तकनीकी है चूंकि क्रील स्टैंड कठोर है और उसमें प्रयुक्त कोनों की संख्या सीमित है इसलिए पीयूआई III के अंतर्गत आने वाले मोटे डेनियर के यार्न का प्रयोग किया गया है, चूंकि इससे अंतिम उत्पाद की मजबूती से समझौता किए बिना कम कोनों का प्रयोग होता है।

vii. आवेदक ने यह नहीं बताया है कि वह 250-3000 डेनियर का विनिर्माण कर रहा है।

viii. यह विवरण कि जांचाधीन उत्पाद सामान्यत: उत्पादित नहीं होता है और इसकी मांग नहीं है, गुमराह करने वाला है क्योंकि आवेदक ने ऐसा साक्ष्य दिया है जो दर्शाता है कि आवेदक 845 ± 20 डेनियर का विनिर्माण करता है जो जांचाधीन उत्पाद है।

ix. गुसियांगडाओ ने टेकफैब को केवल पीयूसी का निर्यात किया है और पीयूआई का कोई निर्यात नहीं किया है।

x. [930 डिटेक्स (837 डेनियर के बराबर)] के पीयूसी का आयातक द्वारा नियमित रूप से आयात किया गया है। ±20 डेनियर की सहनशीलता है जिसका अर्थ है कि [930-940 डिटेक्स (837-846 डेनियर के बराबर)] का एक अलग बाजार है।

xi. वर्धमान द्वारा आयातित [1100 डिटेक्स (990 डेनियर के बराबर)] के पीयूसी का प्रयोग सुरक्षा उपकरण की सिलाई में होता है।

xii. जैसाकि यशानंद फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्पाद शुल्क आयुक्त मामले में सेस्टेट द्वारा नोट किया गया है, अनुमति प्राप्त सहनशीलता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं।

xiii. प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित पीयूआई I की परिभाषा का अर्थ यह हो सकता है कि अनुमति प्राप्त सहनशीलता पर विचार करते हुए केवल 840 डेनियर और उससे कम को बाहर रखा गया है।

xiv. प्राधिकारी ने अनुमति योग्य सीमा की रेंज विनिर्दिष्ट नहीं की है। वर्धमान ने ±20 डेनियर की सहनशीलता का अनुरोध किया है जो उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी विश्लेषण प्रमाण-पत्र के अनुसार है।

xv. पीयूआई I का शुल्क लागू होने से पहले भी तीसरे देशों से आयात किया जा रहा था। वर्धमान ने शुल्क लागू होने से पहले [846 डेनियर] का भारी आयात किया है।

xvi. यद्यपि चीन से आयातों में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में निर्णायक समीक्षा के लिए प्रस्तुत प्रपत्र IV-क के अनुसार सभी क्षति संबंधी मापदंडों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है और किसी उपचारात्मक प्रभाव की अनदेखी नहीं की गई।

xvii. शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में कार्टल का गठन होगा और बाजार में प्रवेश पर रोक लगेगी।

xviii. प्रवंचनारोधी शुल्क लगाने से संबद्ध उत्पाद की आपूर्ति के स्रोत कम हो जाएंगे।

झ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

86. प्रकटन जारी होने के पश्चात घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य के निर्धारण और शुल्क को पूर्व-व्यापी तारीख से लागू करने के संबंध में अपनी टिप्पणियों को दोहराया है और व्यापार उपचारात्मक प्रभावों को निष्क्रिय होने को दर्शाते हुए अन्य कारकों के संबंध में अनुरोध किए हैं। घरेलू उद्योग ने विशेषरूप से निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक पाटनरोधी शुल्क को पूर्व-व्यापी प्रभाव से लगाने के अनुरोध को दोहराता है।

ii. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निर्णय के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए वह समय निर्दिष्ट करना अपेक्षित है जब से शुल्क लगाया जाना चाहिए।

iii. सहनशीलता ±2.4% के रूप में मानी जानी चाहिए।

iv. नियमावली के अनुसार, सामान्य मूल्य को मूल रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य में आवश्यक समायोजन सहित परिकलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि को समायोजित किया जाना चाहिए।

v. पाटनरोधी शुल्क से छूट प्राप्त निर्यातकों से जांचाधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है।

vi पहुंच कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत में गिरावट के अनुपात में नहीं है, जो आगे दर्शाती है कि व्यापार उपचारात्मक प्रभावों को कम आंका जा रहा है।

vii. यदि कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट समायोजित की जाए तो पहुंच कीमत में गिरावट और अधिक हो जाएगी।

viii. यद्यपि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है फिर भी वह कम है।

झ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

87. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात के अनुरोधों की जांच की है, और यह नोट करते हैं कि अधिकांश टिप्पणियां दोहराव हैं जिनकी पहले ही अंतिम

जांच परिणाम के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से जांच और समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत समझे गए मुद्दों की तथापि नीचे जांच की गई है।

88. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दोहराया है कि जांचाधीन उत्पाद नए अनुप्रयोगों जैसे क्रील स्टैंड, ओईएम में प्रयोग के लिए, डबलिंग और प्रयोग आदि के लिए आयातित किया गया है। तथापि , जैसा कि इन जांच परिणामों के संगत भाग में नोट किया गया है , अन्य देशों से जांच के अधीन उत्पाद के आयात अथवा घरेलू उद्योग से आपूर्ति का कोई साक्ष्य नहीं है । जांचाधीन उत्पाद को शून्य शुल्क के अधीन निर्यातकों से भी आयातित नहीं किया गया है। ऐसे किसी उत्पाद को बाजार में बिक्री के लिए सामान्यत: प्रस्तुत किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, केवल तर्कों को छोड़कर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इसका कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्रकटन विवरण जारी होने के बाद भी हितबद्ध पक्षकारों ने दोहराया है कि जांचाधीन उत्पाद के वास्तविक प्रयोग हैं परंतु इस अंतर-निहित मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है कि ऐसे जांचाधीन उत्पाद को केवल पाटनरोधी शुल्क के अधीन स्रोतों से भी और व्यावहारिक रूप से एडीडी लागू होने के बाद ही क्यों आयातित किया जा रहा है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी को इस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं दिखती है कि जांचाधीन उत्पाद को वैकल्पिक प्रयोगों के लिए आयातित किया जा रहा है। इसी कारण से, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई सच्चाई प्रतीत नहीं होती है कि "असामान्य" या गैर-मानकीकृत डेनियर नामक कुछ भी नहीं है और निर्यातक प्रयोक्ताओं की जरूरत के अनुसार आपूर्ति करते हैं। आवेदक द्वारा रिकॉर्ड में प्रस्तुत ब्रोसर से दर्शाते हैं कि उत्पादकों द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित डेनियरों की सामान्यत: आपूर्ति की जाती है। दिए गए तर्क में यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी "अपेक्षा" को केवल शुल्क के अधीन निर्यातकों ने क्यों उठाया है जबकि अन्य निर्यातक केवल मानक डेनियर की आपूर्ति करते हैं, जैसा ब्रोसर में उल्लिखित है।

89. कुछ इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि [1100 डेसीटेक्स] की मात्रा [990 डेनिएर्स] है। हालांकि, जैसा कि इन निष्कर्षों के प्रासंगिक भाग में उल्लेख किया गया है, प्रमुख निर्यातकों के ब्रोशर दिखाते हैं कि ऐसा उत्पाद 1000 डेनिएर्स का है।

90. कुछ आयातकों ने आरोप लगाया है कि [930 डिटेक्स (837 डेनियर के बराबर)] उनके द्वारा नियमित रूप से आयात किया गया है और इस उत्पाद में सहनशीलता है जिसका अर्थ है कि [930-940 डिटेक्स (837-846 डेनियर के बराबर)] का एक अलग बाजार है। चूंकि प्राधिकारी ने उत्पाद की सहनशीलता के संदर्भ में जांचाधीन उत्पाद के दायरे को पहले ही परिभाषित किया है, इसलिए आयातकों की चिंता का पहले ही निवारण हो गया है। इसी कारण से, वर्धमान द्वारा [846 डेनियर] के आयातों पर जांचाधीन उत्पाद के आयातों के रूप में विचार किया गया है।

91. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने स्वयं 250 से 3000 डेनियर के यार्न का उत्पादन किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 250 से 840 डेनियर का यार्न जांच के दायरे के भीतर नहीं है। इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग 845 डेनियर के यार्न का उत्पादन कर रहा है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के ब्रोशर के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पादन और बिक्री सूचना की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने 845 डेनियर के धागे का उत्पादन या बिक्री नहीं की है।

92. पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक उस उत्पाद को शामिल करने की मांग नहीं कर सकता है जिसे मूल जांच में शामिल नहीं किया गया था । प्राधिकरण नोट करता है कि प्रवंचना रोधी जांच का उद्देश्य व्यापार के पैटर्न में बदलाव को संबोधित करना है, एक अभ्यास, प्रक्रिया या कार्य के परिणामस्वरूप जिसके लिए शुल्क लगाने के अलावा अपर्याप्त कारण या आर्थिक औचित्य है, जहां इस तरह के परिवर्तन कर्तव्य के उपचारात्मक प्रभावों को कम करता है। वर्तमान मामले में, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद व्यापार के पैटर्न में बदलाव आया है। हितबद्ध पक्षकार व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन के लिए कोई कारण या आर्थिक औचित्य नहीं दर्शा पाए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मूल जांच के दौरान उत्पाद प्रकारों का बहिष्करण, जब ऐसे डेनियरों का आयात नहीं किया जा रहा था, वर्तमान प्रवंचना-रोधी जांच में उनके विचार को नहीं रोकता है। इसके अलावा, इन उत्पादों यानी पीयूआई 1, II और III को एडीडी से बचने के लिए उत्पाद के विवरण में बदलाव कर निर्यात किया गया है। इन उत्पादों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के विस्तार से विचाराधीन उत्पाद के दायरे में वृद्धि नहीं होगी। यह केवल पाटनरोधी शुल्क को दरकिनार करने वाले उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करेगा।

93. सहनशीलता के संबंध में आयातकों ने दलील दी है कि ± 20 डेनियर की सहनशीलता है। घरेलू उद्योग ने भी आयातों में ± 2.4% की सहनशीलता की दलील दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा विभिन्न उत्पादकों के ब्रोसर से स्पष्ट है, अलग अलग उत्पादकों की अलग अलग सहनशीलता है। तद्नुसार, लागू सहनशीलता 2.4% से अधिक नहीं होगी (जो आयातकों और घरेलू उद्योग दोनों के दावों के अनुरूप है)।

94. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत प्राधिकारी को इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं मिला है कि वर्तमान में अधिसूचित सहनशीलता का अर्थ केवल नकारात्मक सहनशीलता है और न कि सकारात्मक सहनशीलता। यह सर्वविदित है कि सहनशीलता नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती हैं।

95. यद्यपि कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि व्यापार उपचार प्रभावों को निष्क्रिय नहीं किया जा रहा है, परंतु घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए सूचना प्रस्तुत की है कि शुल्कों की प्रवंचना से वह बुरी तरह प्रभावित हुआ है। निर्दिष्ट प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड सूचना यह दर्शाती है कि उपायों के उपचारात्मक प्रभावों को बाजार हिस्से में गिरावट, घरेलू उद्योग की कीमत कटौती और शुल्क के नुकसान की दृष्टि से शुल्क के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से निष्क्रिय किया गया है।

96. घरेलू उद्योग ने ध्यान दिया है कि सामान्य मूल्य को कच्ची सामग्री में वृद्धि के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य के संबंध में पहले ही पाटन निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू शुल्क को जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर लागू शुल्क तक बढ़ाया जा रहा है। अतः, शुल्क का पुनःनिर्धारण नहीं किया गया है। इसके अनुसार, प्राधिकारी कच्ची सामग्री की लागत के लिए सामान्य मूल्य समायोजित करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

97. इस दलील के संदर्भ में कि प्रवंचना की वस्तुओं पर शुल्क के विस्तार से कार्टल का गठन होगा या आपूर्ति के स्रोत सीमित होंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु

के 6 उत्पादक हैं। इसके अलावा, चीन और अन्य देशों से आयात होते हैं। एडीडी कुछ समय से लागू है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से कार्टलों का गठन होगा या आपूर्ति के स्रोत सीमित होंगे। वास्तव में उत्पाद की भारी मात्रा का आयात अन्य देशों से हो रहा है। किसी भी तरह, शुल्क की प्रवंचना से पहले से लागू शुल्क के प्रभाव में कमी आती है और इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी पाते हैं कि यह नहीं माना जा सकता है कि उपायों की प्रवंचना होना जनहित में होगा।

ञ. <u>निष्कर्ष</u>

98. वर्तमान जांच की शुरुआत करने और घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के पश्चात और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है:

क. विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से व्यापार की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है जिसके लिए अपर्याप्त कारण या आर्थिक औचित्य बताया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद को शुल्क लगाए जाने के बाद से नाम, वर्णन या संघटन में बदलाव के पश्चात आयातित किया जा रहा है।

ग. चीन जन.गण. से पीयूआई के आयात पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य के संबंध में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं।

घ. पीयूआई के आयात से सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 जुलाई, 2018 द्वारा पीयूसी पर लागू मौजूदा पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभावों को निष्क्रिय किया गया है।

ट. सिफारिशें

99. उपर्युक्त तथ्यात्मक मिश्रण के मद्देनजर, प्राधिकारी:

i. चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उच्च टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न के आयातों पर अधिसूचना सं. 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 जुलाई, 2018 के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का चीन जन.गण. के मूल के अथ्वा वहां से निर्यातित निम्नलिखित पीयूआई के आयातों तक विस्तार करने की सिफारिश करते हैं (सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 जुलाई, 2018 में तालिकाबद्ध शुल्क अनुबंध-क पर संलग्न हैं)।

क. 1000 डेनियर से कम, परंतु 840 डेनियर से अधिक के उच्च टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न, एडेसिव एक्टिवेटेड और अन्य (पीयूआई I) दोनों। तथापि, 2.4% की अनुमति योग्य सहनशीलता के भीतर आयातित 840 डेनियर या उससे कम के यार्न उत्पाद के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर हैं।

ख. 6000 डेनियर से अधिक, परंतु 7000 डेनियर से कम के उच्च टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (पीयूआई II)। तथापि, 2.4% की अनुमति योग्य सहनशीलता के भीतर आयातित 7000 डेनियर के यार्न उत्पाद के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर हैं।

ग. 1000 डेनियर से अधिक, परंतु 1300 डेनियर से कम (पीयूआई-III) के एडेसिव एक्टिवेटेड उच्च टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न। तथापि, 2.4% की अनुमति योग्य सहनशीलता के भीतर आयातित 1300 डेनियर के यार्न उत्पाद के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर हैं।

ii. चूंकि जांच के तहत उत्पाद के विस्तार के लिए शुल्क की समान मात्रा की सिफारिश की जाती है, जैसा कि विचाराधीन उत्पाद पर लगाया जाता है, शुल्क

राशि वही होगी जो उपरोक्त कस्टम अधिसूचना संख्या 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 जुलाई 2018 में अधिसूचित है।

iii. पीयूआई पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता केन्द्र सरकार द्वारा (सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 जुलाई, 2018 शुल्क की अधिसूचना की तारीख से होगी और वह चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क के साथ सह-अवसानी होगी।

ठ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

100. इस अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क अधिनियम,1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी